



## नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम 2017-18

### Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा प्री. वेटनरी एण्ड फिषरी टेस्ट 2017 (PV & FT-2017) द्वारा घोषित परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महू एवं रीवा में बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच. (5½ वर्षीय) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर तालिका क्र. 1 में दिये गये श्रेणीवार प्राप्त प्राप्तांक या उससे अधिक प्राप्त प्राप्तांक के समस्त अभ्यर्थी, एवं तालिका क्र. 2 में दर्शाये कार्यक्रमानुसार ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाईट [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) या [www.crisponlineservices.com](http://www.crisponlineservices.com) के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं ।

#### तालिका क्र. 1

क्र.	श्रेणी	पी.व्ही. एण्ड एफ .टी. 2017 में प्राप्त प्राप्तांक B.V.Sc. & A.H.
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी UR/SC/ST/OBC (FF)	समस्त पात्र अभ्यर्थी
2	समस्त कृषक अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी SC/ST/OBC (K)	समस्त पात्र अभ्यर्थी
3	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी UR (F)	46 या अधिक
4	अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी UR (X)	46 या अधिक
5	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC (F)	46 या अधिक
6	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X)	46 या अधिक
7	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	42 या अधिक
8	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X)	42 या अधिक
9	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F)	41 या अधिक
10	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST (X)	41 या अधिक

X = पुरुष/महिला, F = महिला, K= कृषक, FF = स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

#### तालिका क्र. 2

काउंसलिंग के चरण	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश	प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करना
प्रथम चरण	17/07/2017 से 27/07/2017 (रात 12 बजे तक)	29/07/2017	31/07/2017 से 05/08/2017 (अवकाश दिवस छोड़कर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)	31/07/2017 से 07/08/2017 (रात 12 बजे तक)
द्वितीय चरण (सीट रिक्त रहने पर)	09/08/2017 से 14/08/2017 (रात 12 बजे तक)	17/08/2017	18/08/2017, 21/08/2017 से 23/08/2017 (अवकाश दिवस छोड़कर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)	18/08/2017 से 25/08/2017 (रात 12 बजे तक)
तृतीय चरण (सीट रिक्त रहने पर)	26/08/2017 से 01/09/2017 (रात 12 बजे तक)	05/09/2017	06/09/2017 से 08/09/2017 (अवकाश दिवस छोड़कर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)	निरंक

- काउंसलिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सीटें एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) तथा [www.crisponlineservices.com](http://www.crisponlineservices.com) पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाईन पंजीयन कराये।
- प्रवेश हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. 2017 (PV& FT-2017) में दिये गए प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा एवं दर्शाये गये प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।।
- स्वतंत्रता संग्राम सैनानी एवं कृषक वर्गों के अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन करते समय अनिवार्य रूप से वर्ग चिन्हित करें।
- **B.V.Sc. & A.H** एवं **B.F.Sc.** में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी पंजीयन कराते समय दोनो पाठ्यक्रमों हेतु अलग अलग विकल्प चिन्हित करें।
- अभ्यर्थी द्वारा किसी भी चरण में एक बार पंजीयन करने के पश्चात् अगले चरण में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।
- किसी भी समय पर अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा एवं विष्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- मूल दस्तावेजों (**Original documents**) का सत्यापन आवंटित महाविद्यालय पर निर्धारित तिथियों में किया जावेगा –

1. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर  
सिविल लाईन्स, जबलपुर रेल्वे स्टेशन के पास, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2621330
2. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु  
रसलपुरा महु – इन्दौर (म.प्र.) दूरभाष. 07324-276655
3. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा  
कुटुलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) दूरभाष. 07662-221686

- प्रत्येक चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पेश रिक्त सीटों की महाविद्यालयवार एवं श्रेणीवार जानकारी [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) एवं [www.crisponlineservices.com](http://www.crisponlineservices.com) पर प्रदर्शित की जावेगी
- प्रत्येक चरण में रिक्त सीटों का ऑनलाईन आबंटन मेरिट के आधार पर कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों से किया जावेगा।
- फीस जमा करने के बाद कौषन मनी के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं होगी।

क्र. /प.चि./अ.सं./2017, दिनांक: .07.2017

अधिष्ठाता संकाय,  
ना.दे.प.चि. वि.वि., जबलपुर

नानाजी देषमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर  
ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग प्रक्रिया 2017-18

Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.)

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
  2. महाविद्यालय का प्राथमिकताक्रम का ऑनलाईन चयन एवं ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान  
(Online preferences/choice filling of college and payment of online application/portal fee)
  3. ऑनलाईन आबंटन (Online Allotment)
  4. आबंटित महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान  
(Reporting for Admission in allotted college, Documents Verification and payment of admission fees)
  5. प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना  
(Online choice for upgradation after admission)
- ✓ काउंसलिंग में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्तांको तथा काउंसलिंग कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप 1 से 5 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। **पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।** ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट [www.ndvsu.org](http://www.ndvsu.org) या [www.crisponlineservices.com](http://www.crisponlineservices.com) के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

- सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/email द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगइन कर सकते हैं।
- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी कि वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

## 2. महाविद्यालय का प्राथमिकताक्रम का ऑनलाईन चयन एवं ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान

### (Online preferences/choice filling of college and payment of online application/portal fee)

सफलतापूर्वक लॉगईन पश्चात अभ्यर्थी अपनी वांछित जानकारी का उपयोग कर संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा –

**अभ्यर्थी कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन कर सकेंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर चॉइस लॉक कर सकेगा।**

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क **रु. 180/- (राषि रु. एक सौ अस्सी मात्र)** का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस (Choice)का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।**

- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

- इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)

**ऑनलाईन शुल्क भुगतान के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विष्वविद्यालय जबाबदार नहीं होगा।**

### 3. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2017 में प्राप्त प्राप्तांक, अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया प्राथमिकताक्रम, पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2017 के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/प्राठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

4. आबंटित महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान

**(Reporting for Admission in allotted college, Documents Verification and payment of admission fees)**

अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश लेने हेतु आबंटित संस्था में आबंटन पत्र तथा अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक प्रवेश शुल्क के साथ अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का आबंटित संस्था में सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा—

- पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2017 की अंक सूची।
- हाई स्कूल (10<sup>th</sup>), हायर सेकेण्डरी (12<sup>th</sup> Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- माइग्रेसन प्रमाण पत्र।
- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
- सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट
- आधार कार्ड

समस्त मूल दस्तावेजों का दो छायाप्रति (फोटोकापी) लाना अनिवार्य होगा।

**महाविद्यालयों का पता निम्नानुसार हैं।**

1. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर  
सिविल लाईन्स, जबलपुर रेल्वे स्टेशन के पास, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2621330
2. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु  
रसलपुरा महु – इन्दौर (म.प्र.) दूरभाष. 07324-276655

3. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा  
कुटुलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) दूरभाष. 07662-221686

आबंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् Eligible/Not Eligible की पावती जारी की जावेगी। चाहे गए दस्तावेज सही होने पर एवं Eligible की पावती प्राप्त होने पर ही आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

इसके पश्चात् आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी एवं अगले प्रत्याषी को योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दे दिया जावेगा।

**फीस जमा करने के बाद कॉषन मनी के अलावा अन्य शुल्क वापस नहीं होगी।**

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु नीचे दर्शायी गयी निर्धारित **शुल्क रुपये 44438/-** प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा ( आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी ) ।

#### 1. कुल फीस:-

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	44438 / -
2	द्वितीय वर्ष	40310 / -
3	तृतीय वर्ष	40310 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय )	60460 / -
5	पंचम वर्ष	38910 / -

#### 2. छात्रावास हेतु शुल्क

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	6410 / -
2	द्वितीय वर्ष	3400 / -
3	तृतीय वर्ष	3400 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय )	5100 / -
5	पंचम वर्ष	3400 / -

विद्युत शुल्क खपत अनुसार एवं भोजनालय की शुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा

टीप— सभी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई शुल्क में से सुरक्षा निधि को छोड़कर शेष राशि वापिस नहीं की जावेगी ।

## 5. प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना

### (Online choice for upgradation after admission)

आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश लेने के पश्चात् ही अभ्यर्थी वेबसाईट पर ऑनलाइन अपग्रेडेशन का विकल्प चाहे गये महाविद्यालय हेतु कर सकते हैं । अपग्रेडेशन केवल अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकताक्रम जो ऑनलाइन पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के बाद लॉक हो गया है उसी प्राथमिकताक्रम के अनुसार की जावेगी। रिक्त सीट उपलब्ध होने पर सीट का अपग्रेडेशन पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2017 में प्राप्तांक, अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया प्राथमिकताक्रम, पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2017 के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार की जावेगी। अपग्रेडेशन के पश्चात् अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जावेगा ।

## पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

विवि/ महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)				अनु.जाति (एस.सी.)				अनु. जनजाति (एस.टी.)				अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)				योग				महा योग
	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	
जबलपुर	23	10	0	1	7	3	0	1	8	4	1	0	6	2	1	0	44	19	2	2	67
रीवा	23	10	0	1	7	3	1	0	8	4	0	1	6	3	0	0	44	20	1	2	67
महू	23	10	0	1	7	3	1	0	8	4	1	0	6	2	0	1	44	19	2	2	67
योग	69	30	0	3	21	9	2	1	24	12	2	1	18	7	1	1	132	58	5	6	201

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, X= इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग ।

अधिष्ठाता संकाय  
ना.दे.प.चि. वि.वि., जबलपुर